भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1165
जिसका उत्तर 14 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

कोयला खनन हेतु भूमि अधिग्रहण

1165. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोयला खनन के लिए अब तक कितने किसानों से भूमि अधिग्रहित की गई है और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अधिग्रहित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा खनन परियोजनाओं के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई भूमि के लिए दिए गए मुआवजे के प्रकारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अब तक मुआवजे से वंचित किसानों की परियोजना-वार संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : उन किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा, जिनसे कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों और एससीसीएल द्वारा कोयला खनन के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राज्य	अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर में)	किसानों/भू-स्वामियों की संख्या
1.	बीसीसीएल	झारखंड	3178.247	4793
		पश्चिम बंगाल	250.74	
2.	एनसीएल	मध्य प्रदेश	592.69	2024
3.	एमसीएल	ओडिशा	15127	17214
4.	ईसीएल	झारखंड	7104.375	1155

		पश्चिम बंगाल	19466.381	
5.	डब्ल्यूसीएल	महाराष्ट्र	11803.565	7935
		मध्य प्रदेश	342.534	353
6.	सीसीएल	झारखण्ड	70000	12066*
7.	एसईसीएल	छत्तीसगढ़	34256.586	36719
		मध्य प्रदेश	15765.803	13102
8.	एससीसीएल	तेलंगाना	16966.96	33317

*अनंतिम

(ख) : खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के प्रकारों के विवरण में भूमि मुआवजा, आवास मुआवजा, वृक्ष मुआवजा, भूमि के बदले रोजगार या एकमुश्त भुगतान या रोजगार के बदले वार्षिकी लाभ प्राप्त करना शामिल है।

(ग) : सीआईएल और एससीसीएल ने सूचित किया है कि किसी भी किसान के मुआवजे से वंचित होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

*****